न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/33/2024	2024/55	08.08.2024	14.11.2024

1. आसीन खां पुत्र मोरमल खां जाति मेव निवारी ग्राम चिरखाना का वास तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 1346 ग्राम वाके अलवर नं0 1 जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री महावीर सैनी —वकील अपीलाण्ट

02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 1346 निर्णय दि0 06.10.2009 ग्राम अलवर नं0 1 जिला अलवर के द्वारा अपीलाण्ट का सही व वास्तविक नाम आसीन खां पुत्र मोरमल के स्थान पर अमीन खां पुत्र मोरमल बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाधीन आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) अलवर द्वारा पारित की गई है. जिससे अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। रेस्पाडेन्ट द्वारा पारित आज्ञा उपरोक्त विरासत इंतकाल संख्या 1346 वाके ग्राम अलवर नम्बर 1 दिनांक 06—10—2009 को स्वीकार किया गया है जिसमें मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम आसीन खां पुत्र मोरमल के स्थान पर अमीन खां पुत्र मोरमल दर्ज कर स्वीकार किया गया है, जो कि मिन अपीलान्ट के पीछे से स्वीकार किया गया है। चूँकि वक्त स्वीकृत इंतकाल मिन अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही था। इसलिए उक्त इंतकाल की जानकारी मिन अपीलान्ट को नही हो सकी तथा उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 05—08—2024 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो बताया कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का आसीन खां पुत्र मोरमल के स्थान पर अमीन खां पुत्र मोरमल अंकित है और कहा कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नही बन सकता है। पहले राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती करावें जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन 06—08—2024 नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो उसी दिन सांयकाल प्राप्त हुई जिसके पश्चात्त मिन अपीलान्ट द्वारा वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने उक्त इंतकाल की अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष दायर करने की सलाह दी। जिससे यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। आराजी हाल खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.38 हैक्टेयर, 1949 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 1949/2582 रकबा 0.61 हैक्टेयर, 1950 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1951/5677 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1952 रकबा 0.02 हैक्टेयर, किता 6 रकबा 1.73 हैक्टेयर, वाके ग्राम अलवर नम्बर 1 हिस्सा 1712/20691 महावीर चेरिटेबल एजूकेशन सोसायटी 92, शान्ति कुन्ज अलवर की खातेदारी की थी। जिस संस्था द्वारा उक्त आराजी मिन अपीलान्ट व अन्य 6 व्यक्तियो को जरिये बयनामा दिनांक 10—11—2006 को विक्रय की गई, जो बयनामा दिनांक 10—11—2006 को उपपंजीयक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अलवर द्वारा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 752 पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 2006007333 पर पंजीबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2086 के पृष्ठ सख्या 112 से 120 पर चस्पा किया है। यह कि बाद बयनामा तहसीलदार अलवर द्वारा अपीलान्ट व अन्य क्रेतागण के पक्ष में नामांतकरण संख्या 1346 दिनांक 06–10–2009 को स्वीकार किया गया है। उपरोक्त नामांतकरण में सहबन से मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम आसीन खां पुत्र मोरमल के स्थान पर अमीन खां पुत्र मोरमल अंकित कर स्वीकार किया है। जबकि बयनामा में मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम आसीन खां पुत्र मोरमल अंकित है। इस प्रकार उक्त बयनामा के अनुसार नाम अंकित नही किया गया है। मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम आसीन खां पुत्र मोरमल जो कि मिन अपीलान्ट के परिवार राशन कार्ड, आध् पार कार्ड, आयकर प्रमाण–पत्र से भी स्पष्ट है। उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी नही दी चूँकि ग्रामीण व्यक्ति है तथा उक्त इंतकाल दर्ज व स्वीकार मिन अपीलान्ट के पीछे से किया गया है। उक्त इंतकाल में मिन अपीलान्ट का गलत नाम अमीनखां दर्ज होने से मिन अपीलान्ट के हक हकूक जायल होने अंदेशा है। इसलिए उपरोक्त इंतकाल में मिन अपीलान्ट का नाम अमीन खां के स्थान पर आसीन खां पुत्र मोरमल किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस हेतु यह अपील पेश की जा रही है। उक्त दुरूस्ती से अन्य क्रेतागण/खातेदारान के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। इसलिए उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार अलवर की आज्ञा दिनांक 06–10–2009 बाबत इंतकाल संख्या 1346 वाके अलवर नम्बर 1 तहसील व जिला अलवर को संशोधित कर उक्त इंतकाल बय में मिन अपीलान्ट का गलत नाम अमीन खां पुत्र मोरमल के स्थान पर सही व वास्तविक नाम आसीन खां पुत्र मोरमल संशोधित कराया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2009 के विरूद्व दिनांक 08.08.2024 को पेश की गयी है जो करीब 15 साल माह 02 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 1346 वाके ग्राम अलवर नं0 1 में अपीलाण्ट का नाम अमीन खां पुत्र मोरमल दर्ज व तस्दीक किया गया है। पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न अपी0 का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विक्रय पत्र, जमाबंदी एवं बैंक पासबुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपी0 का वास्तविक नाम आसीन खान पुत्र मोरमल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का नाम अमीन खां पुत्र मोरमल त्रुटिपूर्वक दर्ज व तस्दीक किया गया है, जो कि एक विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश नामा0 सं0 1346 दिनांक 06.10.2009 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट का नाम आसीन खां पुत्र मोरमल नियमानुसार नवीन नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)